



## वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव (भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

### भाग—4

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी की जाए)

आवेदनकर्ता, महाप्रबंधक, जियो ईन्फोकाम द्वारा कोणडागँव जिले के केशकाल वन मंडल अंतर्गत ग्राम पाटला से केशकाल तक आप्टिक फायबर केबल बिछाने हेतु 0.830 हैं। वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु प्रस्ताव में दर्शाये अनुसार व्यपवर्तन की अनुशंसा की जाती है।

दिनांक: 11 /07/2017

स्थान: रायपुर

  
 (आर.क.टम्टा)  
 प्रधान मुख्य वन संरक्षक  
 छत्तीसगढ़  
 प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
 छत्तीसगढ़, रायपुर